न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 77/2012 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2012/00121**

1. गोपाल कंवर पत्नि श्री आसु सिंह
2. भंवर सिह पुत्र श्री आसु सिंह
3. करणीसिंह पुत्र श्री आसु सिंह
4. मोहनसिंह पुत्र श्री आसु सिंह
5. जग्गू कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
6. छोटू कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
7. चन्दू कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
8. गीता कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
9. उगम कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
10. मूली कंवर पुत्री श्री आसु सिंह
11. सदू कंवर पुत्री श्री आसु सिंह

} जाति राजपूत निवासीगण भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. दयाराम
2. भागीरथ
3. सेठ

} पिसरान हंसराज जाति जाट निवासीगण बिजारणिया वाली ढ़ाणी, हनुमानगढ़।

4. जगदीश
5. रायसिंह
6. पवन कुमार

} पिसरान शंकरलाल जाति जाट निवासीगण मटोरिया वाली ढ़ाणी, हनुमानगढ़।

7. रजीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी बिजारणिया वाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. चन्द्रावली पत्नी श्री रजीराम जाति जाट निवासी बिजारणिया वाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. सुग्रीव पुत्र श्री शिशुपाल जाति जाट निवासी मटोरिया वाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा, तहसील पूगल जिला बीकानेर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री राजेन्द्र सिंह शिमला
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 9 — श्री राजेश बैद

निर्णय

दिनांकः 28.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 31.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1— वादगत भूमि वाके रोही भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर के खसरा नंबर 256 तादादी 14.08 बीघा, ,ख.नं. 395/1 तादादी 0.03 बीघा, ख.नं. 395/3 तादादी 38.12 बीघा, ख.नं. 553 तादादी 193.09 बीघा कुल तादादी 246.12 बीघा कृषि भूमि है। उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 216 दिनांक 20.04.2011 ग्राम पंचायत अमरपुरा तहसील पूगल ने अपीलांट के पक्ष में कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 पारित करते हुए अपीलांट्स के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 216 दिनांक 20.04.2011 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) पूगल को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— . अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट्स की पैतृक कृषि भूमि वाके रोही भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर के खसरा नंबर 256 तादादी 14.08 बीघा, ख.नं. 395/1 तादादी 0.03 बीघा, ख.नं. 395/3 तादादी 38.12 बीघा, ख.नं. 553 तादादी 193.09 बीघा कुल तादादी 246.12 बीघा स्थित है। अपीलांट सं. 1 के पति व शेष अपीलांट्स के पिता आसुसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित सम्पति को कभी भी विक्रय नहीं किया और न ही पैतृक भूमि होने के कारण अपीलांट्स के पिता को उक्त भूमि अकेले विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट जो बैयनामा बता रहे हैं वह गलत व फर्जी है। उक्त बैयनामा के निरस्ती का दावा सिविल कोर्ट में चल रहा है, जंहा से रेस्पोडेन्ट का हक बनता हैं अथवा नहीं तय होना है। इंतकाल की प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडींग हैं, जिससे किसी के अधिकार तय नहीं होते। अधिकारों का विनिश्चय सिविल न्यायालय में लम्बित दावों में तय होना है इसलिए आदेश जैर अपील पारित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उपखण्ड अधिकारी पूगल ने इंतकाल संख्या 216 दिनांक 20.04.2011 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में बिना साक्षियों का विवेचन किए पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना दरकिनार करते हुए आदेश पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण के संबंध में बैयनामा के निरस्तीकरण का सिविल कोर्ट में विवाद लंबित हैं, उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को बिना गौर किये आदेश जैर अपील पारित की है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण के हक में स्व.आसुसिंह

द्वारा पंजीबद्ध कराये गये विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर रखी थी। उक्त सिविल दावा में निर्णय हो चुका है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है। वादगत भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि आसुसिंह पुत्र सालमसिंह उर्फ मालसिंह जाति राजपूत निवासी भानीपुरा की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी, जिसे रेस्पोडेन्ट्स ने जरिये विक्रय पत्र खरीद किया हैं। खरीद की तिथि से रेस्पोडेन्ट वादगत भूमि पर लगातार काबिज काश्त है। इंतकाल संख्या 216 तादादी 20.04.2011 पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत अमरपुरा से गलत रूप से तस्दीक कराया हैं, क्योंकि तब स्व. आसुसिंह ने भूमि विक्रय कर दी तो विक्रय के बाद किसी प्रकार के अधिकार अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए, इसलिये इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था। भू–प्रबंध के दौरान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादगत भूमि का रेस्पोडेन्ट के नाम इंतकाल नंबर 1812 दिनांक 13.01.1993 को स्वीकृत कर दिया गया तथा पर्चा लगान जारी कर दिया गया। इसके बाद भी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट्स का नाम दर्ज नहीं किया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने पुनः दिनांक 21.02.2008 को तहसीलदार पूगल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु इंतकाल दर्ज नहीं किया गया। इसी बीच अपीलांट ने ग्राम पंचायत व पटवार हल्का से साजिश करके रेस्पोडेन्ट को सूचित किये बिना, इकतरफा तौर पर विरासतन इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया, जो प्रथम दृष्ट्या अवैध एवं खिलाफ कानून था। इसलियें अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत था तथा अब भू–प्रबंध विभाग द्वारा बैयनामों के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 1812 दिनांक 13.01.1993 का अमलदरामद राजस्व रेकार्ड में स्वतः ही होना है, क्योंकि पूर्ववर्ती कार्यवाही कानूनन स्वतः ही राजस्व रेकार्ड में इंद्राज योग्य होती है। चूंकि विक्रय पत्र सिविल न्यायालय द्वारा सही माने गये है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनुवानी अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस आर.आर.टी. 2012 पार्ट–I पेज 374 न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया है।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) पूगल को उभय पक्ष को सुनकर निर्णय करने के निर्देश देते हुए रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश सभी पक्षों को सुनकर पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में विवादित भूमि का

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते
संभागीय आयुक्त बीकानेर

बेचान नहीं किये जाने बाबत लिखा है जबकि सिविल न्यायालय ने अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामों को निरस्त करने के लिये किये गये दावे में निर्णय पारित करते हुए उक्त दावों को खारिज कर रजिस्टर्ड बैयनामों को यथावत रखा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 न्यायोचित होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/10/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते